<u>फा.1/111(31)/2016-भ.VI/एसपीसी-I</u>

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड

नई दिल्ली-110069

सेवा में,

प्रिय उम्मीदवार,

विषय : पोत परिवहन मंत्रालय, प्रकाशस्तंभ तथा दीपपोत महानिदेशालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (यांत्रिक) के 01 (एक) पद [विज्ञापन सं. 12/2016, प्रकाशन की तारीख 09.07.2016, रिक्ति सं. 16071221609, मद सं. 21]

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त पद हेतु आपके आवेदन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि आपको साक्षात्कार हेतु लघु सूचीबद्ध किया गया है। तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप **<u>निम्नानुसार दिए गए कार्यक्रम के अनुसार</u> दोपहर 12.00 बजे <u>(अपराह्न सत्र के लिए रिपोर्ट करने का समय)</u>** संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069, में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।

2. आपसे अनुरोध है कि साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए भर्ती/साक्षात्कार/दस्तावेजों की सूची (अनुबंध-I) के अंतर्गत आयोग की वेबसाइट (http://www.upsc.gov.in) में दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु प्रमाण, समुदाय/शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, समकक्ष प्रमाण-पत्र आदि के संबंध सभी मूल दस्तावेज़ (उनकी अनुप्रमाणित फोटोप्रतियों सहित) अपने साथ लाएं।

3. आपसे यह भी अनुरोध है कि अधिप्रमाणन प्रपत्र, फोटोग्राफ सहित, और पूर्ण रूप से भरा हुआ टी.ए. फार्म (यदि दिल्ली से बाहर के उम्मीदवार हों) प्रस्तुत करें। इस संबंध में, कृपया साक्षात्कार को नियंत्रित करने संबंधी प्रक्रियाओं, नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उनका अनुपालन करें, जो भर्ती/साक्षात्कार/प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें (अनुबंध-II) के अंतर्गत आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं और अपेक्षित फार्मों को डाउनलोड कर लें।

नोट - I : सशर्त साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे साक्षात्कार के समय उन दस्तावेजों (जिनके लिए उन्हें सशर्त बुलाया गया है) की मूल प्रतियां प्रस्तुत करें। यदि वे साक्षात्कार के समय अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट - II : साक्षात्कार की तारीख में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

ह/-

अवर सचिव (एसपीसी-I)

संघ लोक सेवा आयोग

23098591-4922

अनुबंध-I

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की सूची

(i) आयु के दावे के समर्थन में, मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा का या समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें उम्मीदवार की जन्मतिथि निर्दिष्ट हो अथवा केन्द्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा का या समकक्ष अंक प्रपत्र जिसमें उम्मीदवार की जन्मतिथि निर्दिष्ट हो। जिन मामलों में संबद्ध शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/अंक पत्रकों में जन्मतिथि न दी गई हो वहां जन्म-तिथि दर्शाते स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर (जैसे तमिलनाडु और केरल के मामले में) विचार किया जाएगा।

(ii) दावा की गई शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षणिक वर्षों से संबंधित अंकतालिकाओं सहित यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री। डिग्रीप्रमाण पत्र न होने पर सभी संबंधित वर्षों की अंक तालिका सहित प्रोविजनल प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

(iii) आंतरिक दहन इंजन, जनरेटर, मोटर और अन्य विद्युत मशीनरी की स्थापना और रखरखाव में पर्यवेक्षी क्षमता में दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।

(iii) दावे के अनुसार, संगठन अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से "**निर्धारित प्रारूप**" में अनुभव की पूरी अवधि के दौरान का प्रमाण-पत्र, जिसमें रोजगार की अवधि(तिथि, माह तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन, अवधि(अवधियों) सहित पद(पदों) पर रहते हुए किए गए कार्य/अर्जित अनुभव का उल्लेख हो। केवल पद से संबंधित क्षेत्र के अनुभव पर विचार किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए गए अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

(v) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में आरक्षण की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि उम्मीदवार की जाति किस अधिनियम/आदेश के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यताप्राप्त है और उम्मीदवार सामान्य रूप से किस गांव/कस्बे का निवासी है।

(vi) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों से **"निर्धारित प्रारूप"** में समुदाय प्रमाण पत्र (अ.पि.व.) के अतिरिक्त इस आशय का घोषणापत्र कि निर्णायक तिथि को वे क्रीमी लेयर में शामिल नहीं हैं। जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, उपर्युक्त पद हेतु ओआरए वेबसाइट पर ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि, निर्णायक तिथि के रूप में मानी जाएगी।

(vii) चिकित्सा उपयुक्तता के निर्धारित मानकों के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा **"निर्धारित प्रारूप"** में जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।

(viii) मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह, तलाक आदि होने पर **नाम में परिवर्तन** संबंधी दावों के मामले में उम्मीदवार, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे:-

क) महिलाओं के विवाह के मामले में- पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पति/पत्नी के नाम दिए गए हों अथवा विवाह पंजीयक द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा पति/पत्नी से, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेते हुए उनकी एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र;

ख) महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में - पहले पति के संबंध में तलाक विलेख/ मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसा भी मामला हो, अथवा वर्तमान पति के पासपोर्ट की एक प्रति, जिसमें पति/पत्नी के नाम दिए गए हों अथवा विवाह पंजीयक द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा पति/पत्नी से, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेते हुए उनकी एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र;

ग) महिलाओं के तलाक के मामले में- तलाक डिक्री तथा विलेख रजिस्ट्री/ शपथ-पत्र, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेते हुए, की एक प्रमाणित प्रति;

घ) अन्य परिस्थितियों में पुरुष व महिला दोनों के नाम परिवर्तन हेतु- विलेख रजिस्ट्री/ शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ-पत्र तथा दो मुख्य दैनिक समाचार-पत्रों की पेपर कतरनें, मूल रूप में(एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र का हो) तथा गजट अधिसूचना।

ड.) नाम की वर्तनी में त्रुटि के मामले में - शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेते हुए शपथ-पत्र।

(ix) **निम्नलिखित मामलों में आयु में छूट हेतु प्रमाण पत्र** :-

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित पूर्व सैन्य कर्मियों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा **"निर्धारित प्रारूप"** में जारी प्रमाण पत्र।

(ख) केन्द्र/ संघ शासित क्षेत्र सरकार के कर्मियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा **"निर्धारित प्रारूप"** में जारी प्रमाण पत्र।

(ग) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा **"निर्धारित प्रारूप"** में जारी प्रमाण पत्र।

(घ) विधवा महिलाएं/तलाकशुदा महिलाएं/पति से कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाएं।

(ङ) पहली जनवरी,1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान सामान्य रूप से जम्मू व कश्मीर राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति।

(x) नियमित सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत कर्मी, भले ही वे स्थायी हों अथवा अनियत /तदर्थ/ दैनिक मजदूरी/ घंटों के आधार पर भुगतान पाने वाले/ संविदागत आधार को छोड़कर अस्थायी कर्मी हों, इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने इस चयन हेतु आवेदन करने के संबंध में अपने कार्यालय/विभागाध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित कर दिया है।

(xi) यदि आप सरकारी सेवक होने का दावा करते हैं, तो आपको अपने नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि **इस पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को** आप सरकारी सेवा में थे।

(xii) किसी भी अन्य परिस्थिति में *(*उदाहरण के लिए, पूर्व सैन्यकर्मियों के मामले में)।

टिप्पणी : प्रमाण-पत्रों के निर्धारित प्रारूपों आदि के लिए उम्मीदवार, उपर्युक्त पद हेतु रोजगार समाचार में प्रकाशित संगत विज्ञापन अथवा आयोग की वेबसाइट, www.upsc.gov.in पर 'भर्ती' (रिक्रूटमेंट) टैब के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन का अवलोकन करें।

XXXXXX

अनुबंध-II

साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें

1. आपके दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि आपके द्वारा दी गई कोई जानकारी या आपके ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा किए गए किसी दावे को असत्य पाया जाता है, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आपको हमेशा के लिए या निम्नलिखित द्वारा निर्धारित अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है :

- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किया परीक्षा अथवा चयन से।
- केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन किसी नियुक्ति से।

यदि आप पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो उपयुक्त नियम के अंतर्गत आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

2. कृपया आयेग की वेबसाइट पर उपलब्ध साक्ष्यांकन प्रपत्र, जिसमें हाल ही में ली गई फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार) (5 सें.मी. X 7 सें.मी.) निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाई गई हो, को भरकर तथा इसे मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की जांच के दिन जमा कर दें। उम्मीदवारों को दो अतिरिक्त समरूप फोटोग्राफ भी लाने होंगें, जो अगली तरफ स्याही से स्व-हस्ताक्षरित हों और उनके पीछे की तरफ आपका (i) अनुक्रमांक (ii) साक्षात्कार की तारीख (iii) पद का नाम उल्लिखित हो। अनुक्रमांक आदि लिखने के लिए केवल फोटोग्राफ के ऊपरी भाग के आधे हिस्से का ही उपयोग किया जाना चाहिए और निचले भाग को कार्यालय के उपयोग के लिए खाली छोड़ना चाहिए।

3. आप अपने साथ उन पुस्तकों, प्रकाशनों, पांडुलिपियों, जिनका लेखन आपने करने का दावा किया है, और/या स्नातकोत्तर योग्यता के लिए प्रस्तुत की गई थीसिस/डिसर्टेशन, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में पुन:प्रकाशित लेख, आपके द्वारा किया गया साहित्यिक/कलात्मक तथा वास्तु-शास्त्र संबंधी कार्य जो विज्ञापित पद से संगत है और जिसे आप साक्षात्कार बोर्ड द्वारा उनकी संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं, ला सकते हैं।

4. उम्मीदवारों की उम्मीदवारी उनके सभी प्रकार से पात्र पाए जाने की शर्त के अध्यधीन अनंतिम है। पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार की आयु के संबंध में दावे, सरकारी सेवा में कार्यरत होने के कारण आयु में रियायत के दावे, शैक्षिक योग्यता, संगत क्षेत्र में अनुभव, समुदाय, शारीरिक अक्षमता आदि के समर्थन में मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार का साक्षातकार लिया जाएगा। साक्षात्कार के समय दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित फोटोप्रतियों का एक सेट भी प्रस्तुत करना होगा। (अंतिम तिथि आवेदन प्राप्ति की निर्णायक तारीख होगी क्योंकि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता/आयु में रियायत/समुदाय आदि के सभी दावे अंतिम तिथि द्वारा नियंत्रित हैं।) इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उक्त प्रमाण-पत्रों को तैयार रखें और पद पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध महत्वपूर्ण अनुदेशों और उनके दावों के अनुसार प्रमाण-पत्रों की आवश्यकताओं को पहले ही जांच लें।

5. आयोग द्वारा आपको साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि नियुक्ति हेतु आपका चयन कर लिया गया है या यदि आपका चयन हो जाता है तो अधिक वेतन की आपकी प्रारंभिक मांग को आयोग द्वारा समर्थन प्राप्त है। सामान्यत: केन्द्र सरकार में पहले से कार्यरत उम्मीदवार का वेतन इस विषय से संबंधित नियमों के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है।

6. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों के यात्रा अथवा अन्य व्यय का वहन नहीं किया जाता है। साक्षात्कार के लिए केवल दिल्ली से बाहर के उम्मीदवारों को **संलग्न नोट** में उल्लिखित अनुसार इन व्ययों के लिए अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, उन्हें संलग्न **रिक्त** दो यात्रा भत्ता बिल फार्मों को भरकर इन्हें आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। साक्षात्कार के दिन ही अंशदान का भुगतान किया जाएगा और आयोग कार्यालय छोड़ने से पूर्व आप कैशियर से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

नोट : यदि उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित किसी कारण अथवा अन्य कारण से उम्मीदवार को साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके यात्रा व्यय के प्रति आयोग के अंशदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश उम्मीदवार का सशर्त साक्षात्कार लिया जाता है, तो ऐसे मामले में उनके यात्रा व्यय के प्रति आयोग के अंशदान का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आयोग द्वारा उस शर्त को समाप्त नहीं कर दिया जाता। इसलिए यह उम्मीदवार के अपने हित में होगा कि वह वापसी यात्रा के लिए अपने साथ पर्याप्त धनराशि लाए।

7. आपको अपने डाक के पते में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।

8. कृपया यह पत्र अपने साथ लाएं और आयोग कार्यालय पहुंच कर आयोग परिसर में प्रवेश के लिए आयोग कार्यालय में स्वागत अधिकारी से संपर्क करें तथा भविष्य में किए जाने वाले सभी पत्र-व्यवहार में इस पत्र की संख्या और तारीख का संदर्भ दें।

नोट 1 : दिसंबर से फरवरी माह के दौरान दिल्ली में मौसम सर्द होता है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए कपड़ों की व्यवस्था करें।

नोट 2 : संघ लोक सेवा आयोग परिसर में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की अनुमति नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ मोबाइल फोन न लाएं क्योंकि आयोग द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

पोत परिवहन मंत्रालय, प्रकाशस्तंभ तथा दीपपोत महानिदेशालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (यांत्रिक) के 01 पद हेतु साक्षात्कार कार्यक्रम					
क्र. सं.	**अनुक्रमांक**	**नाम**	**साक्षात्कार की तारीख**	**रिपोर्ट करने का समय**	**शर्त का कोड**
1	14316	NIGAMANANDA JENA	27.04.2018	12.00 NOON	
2	37895	PARMATMA KUMAR SINGH	27.04.2018	12.00 NOON	